सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत बिहार सूचना आयोग, पटना की संरचना, शक्ति, कार्य एवं दायित्व आदि के सम्बन्ध में स्वघोषणा

1. संगठन का विवरण, कार्य एवं कर्तव्य :-

(क) **संगठन का विवरणी** :- केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक-22 के रूप में अधिनियमित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-8/सू0अ0-15-02/2006 का0-6161, दिनांक-28.06.2006 द्वारा बिहार सूचना आयोग का गठन किया गया। यह एक वैधानिक आयोग है, जिसका कार्यालय ''सूचना भवन'' नेहरू मार्ग, पटना-800015 में स्थित है।

बिहार सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री त्रिपुरारि शरण एवं राज्य सूचना आयुक्त के पद श्री फूल चन्द्र चौधरी, श्री ब्रजेश मेहरोत्रा तथा श्री प्रकाश कुमार कार्यरत है। बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सूचना आयोग का मूल प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करता है। आयोग में आवश्यक पदों के सृजन एवं बजट की स्वीकृति आदि से संबंधित कार्य सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उप-धारा 6 में यथा प्रावधानित आयोग के कार्यों एवं दायित्वों का दक्षतापूर्ण पालन हेतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं तीन राज्य सूचना आयुक्तों सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन किया गया है, जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :-

बिहार सूचना आयोग में सृजित पदों की संख्या/कार्यरत बलों की संख्या/रिक्त पदों की संख्या :–

पदों का वर्गीकरण समूह/पदनाम	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत बलों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	01	01	00	
राज्य सूचना आयुक्त	03	03	00	
योग	04	04	00	
समूह 'क'				
सचिव	01	00	01	
विधि पदाधिकारी	01	01	00	
उप सचिव	01	00	01	
अवर सचिव	02	02	00	
प्रधान आप्त सचिव	04	01	03	
योग	09	04	05	
समूह 'ख'				
प्रशाखा पदाधिकारी	03	03	00	एक प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत
आप्त सचिव	01	03	–	प्रधान आप्त सचिव के पद के विरुद्ध दो आप्त सचिव का पदस्थापज
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	09	06	03	
वरीय उर्दू अनुवादक	01	01	00	

पदों का वर्गीकरण समूह/पदनाम	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत बलों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
सहायक प्रशासी पदाधिकारी	00	01	–	प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत
योग	14	14	03	
समूह 'ग'				
निजी सहायक	06	00	06	
उच्च वर्गीय लिपिक	00	04	–	निम्न वर्गीय लिपिक के पद/उत्क्रमण के विरूद्ध एक उच्च वर्गीय लिपिक का पदस्थापन एवं तीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत
आशुलिपिक	10	09	01	
निम्न वर्गीय लिपिक	07	02	05	एक प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत
वाहन चालक	07	07	0	संविदा एवं आउट सोर्सिंग के आधार पर सेवारत
आई0टी0 मैनेजर (संविदा आधारित पद)	01	01	00	
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा आधारित पद)	10	36	00	सामान्य प्रशासन विभाग के अनुशंसा के आलोक में 26 अतिरिक्त सेवारत
योग	41	59	12	
अवर्गीकृत समूह				
कार्यालय परिचारी (आदेशपाल)	11	08	03	आउटसोर्सिंग एवं संविदा के आधार पर सेवारत
योग	11	08	03	
कुल योग	79	89	23	

(ख) **संगठन के कार्य** :– बिहार सूचना आयोग का गठन एवं इसका मुख्यालय स्थापना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा की उप धारा (1) एवं (7) के अन्तर्गत की गयी है।

आयोग के मुख्य कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं :–

(1) बिहार सूचना आयोग का यह कर्त्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–18(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करे –

(क) जो, लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन लोक सूचना पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है या सहायक लोक सूचना पदाधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन, सूचना या अपील के लिए आवेदन को लोक सूचना पदाधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी या बिहार सूचना आयोग को भेजने के लिए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है,

या

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी/सूचना तक पहुँच के लिए इन्कार कर दिया गया है,

या

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्धारित समय–सीमा के भीतर सूचना के लिए/सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है,

या

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय/अदा करने की अपेक्षा की गयी है, जो वह अनुचित समझता है,

या

(इ) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रामक अथवा मिथ्या सूचना दी गयी है,

या

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने अथवा उन तक पहुँच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(3) के अन्तर्गत बिहार सूचना आयोग द्वितीय अपील सुनने के लिए राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन का निस्तारण अधिनियम की धारा–7 के अनुसार नहीं किया गया है या वह आवेदन के निस्तारण में किए गए विलम्ब या दिए गए निर्णय से क्षुब्ध है तो वह व्यक्ति 30 दिन के भीतर उसी लोक प्राधिकरण के प्राधिकृत प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है। यदि अपीलार्थी की समस्या का समाधान हो जाता है, तो उसे आयोग के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि अपीलार्थी प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है या उसकी अपील किन्हीं कारणों से निरस्त कर दी गयी है या उसे अपील के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त नहीं हुआ है तो वह द्वितीय अपील बिहार सूचना आयोग को उस तारीख से 90

दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा, जिस तारीख को विनिश्चय प्राप्त हो या होना चाहिए। बिहार सूचना आयोग 90 दिन की कालावधि बीतने के बाद भी द्वितीय अपील सुनवाई हेतु स्वीकार कर सकता है, जब उसे यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से असमर्थ रहा है।

बिहार सूचना आयोग के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत ऐसी शक्तियों को प्रयोग करता है जो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्याधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से की जा सकती है।

(ग) **संगठन के कर्त्तव्य** :–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानुसार बिहार सूचना आयोग शिकायतकर्त्ताओं के शिकायतों की जाँच तथा अपीलकर्त्ताओं को समुचित सूचना दिलाने हेतु उनसे शिकायतें एवं अपीलें प्राप्त करता है तथा अधिनियम के अनुसार उन पर सुनवाई करते हुए निर्णय देता है। आयोग यह भी सुनिश्चित करता है कि लोक प्राधिकरणों से अधिनियम के प्रावधानानुसार नागरिकों को वांछित सूचनाएं ससमय प्राप्त हों। बिहार सूचना आयोग, अधिनियम की धारा–25 के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है और उसकी प्रति बिहार सरकार को भेजी जाती है।

2. अधिकारियों व कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :-

(क) बिहार सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों तथा पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	शक्तियाँ एवं कर्तव्य
01	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के अन्तर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबन्धन का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–18 एवं 19 के अन्तर्गत क्रमशः शिकायत एवं द्वितीय अपीलों की जाँच तथा सुनवाई करना एवं दोषी पाये जाने की स्थिति में लोक सूचना पदाधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 का उपयोग करना।
02	राज्य सूचना आयुक्त	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–18 एवं 19 के अन्तर्गत क्रमशः शिकायत एवं द्वितीय अपीलों की जाँच तथा सुनवाई करना एवं दोषी पाये जाने की स्थिति में लोक सूचना पदाधिकारी पर अधिनियम की धारा–*20 का उपयोग करना एवं*

		धारा–15 (4) के प्रावधान के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की सहायता करना।
03	सचिव	• राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन आयोग का सचिव आयोग के प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी है। • राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देशानुसार सचिव द्वारा आयोग की बैठक बुलायी जाती है। बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है और ऐसी बैठक में आयोग द्वारा लिए गए विनिश्चय का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। • सचिव द्वारा आयोग का बजट तैयार किया जाता है और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की सहमति से उसे सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सचिव द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि वित्तीय नियमों और बजट के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाए। • सचिव, आयोग के कार्यालय के समुचित कार्यकरण और उसके अन्दर मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखना सुनिश्चित करते है और वह उस निमित समस्त

		आवश्यक शक्तियाँ रखते हैं और उनका प्रयोग कर सकते है। • रजिस्ट्रार के कार्यों से संबंधित समस्त मामलों के सिवाय, आयोग के समस्त पत्राचार आयोग के सचिव (अथवा संयुक्त/उप–सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी) के हस्ताक्षर से किए जाते हैं। • सचिव, समस्त ऐसी न्यायिक मामलों में जहाँ आयोग एक पक्ष है, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। • सचिव, आयोग के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित समस्त अभिलेखों की समुचित अभिरक्षा और उनके रख–रखाव का पर्यवेक्षण करते हैं। • सचिव, आयोग से संबंधित मामलों के कार्यकरण के लिए सरकार और विभागीय पदाधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखते है। • प्रथम अपीलीय प्राधिकार, बिहार सूचना आयोग का कार्य।

04	रजिस्ट्रार/विधि पदाधिकारी	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन रजिस्ट्रार आयोग के न्यायिक कार्यकरण के प्रबंध के लिये उत्तरदायी मुख्य पदाधिकारी हैं। आयोग के विधि पदाधिकारी आयोग के पदेन रजिस्ट्रार है जिनके द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाते है :– • आयोग के विभिन्न मामलों में विधिक राय देना। • विधि पदाधिकारी आयोग में प्राप्त द्वितीय अपील/शिकायत आवेदन की संवीक्षा कार्य के वरीय प्रभारी है और इस पर अंतिम निर्णय लेते है। • संवीक्षा के उपरांत शिकायत आवेदन/अपील के संदर्भ में यदि यह पाया जाता है कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी विवरण उपलब्ध है तथा अपील/शिकायत आवेदन सभी प्रकार से पंजीकरण योग्य है तो वह अपील/शिकायत आवेदन को संख्यांकित कराते हुए उक्त अपील/शिकायत आवेदन को मामलें में आधिकारता रखने वाले राज्य सूचना आयुक्त को अग्रसारित करते है। • फास्ट ट्रैक सुनवाई हेतु योग्य अपील/शिकायत आवेदन को नियमानुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष आदेशार्थ उपस्थापित करते है। • यदि आयोग में कोई ऐसा अभिलेख प्राप्त होता है जो पूर्व में पंजीकृत किसी शिकायत या अपील से संबंधित है, तो इस अभिलेख को परीक्षणोपरान्त रजिस्ट्रार द्वारा उसे सूचना आयुक्त को

		अग्रेषित कर दिया जाता है, जिसका द्वारा उक्त पूर्व पंजीकृत शिकायत या अपील की सुसंगत पत्रावली पर रखते हुए यथोचित कार्यवाही की जाती है। • यदि आयोग में कोई ऐसा अभिलेख प्राप्त होता है जो न तो नई शिकायत है या अपील और न ही किसी पूर्व पंजीकृत शिकायत या अपील से संबंधित है, तो रजिस्ट्रार उक्त अभिलेख को परीक्षणोपरान्त उस अधिकारी या अनुभाग को अग्रेषित कर देते हैं, जिसके द्वारा रजिस्ट्रार के मतानुसार उक्त अभिलेख पर वांछित कार्यवाही की जानी है। • आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली हेतु पत्राचार करना। • मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य का निष्पादन।
05	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	आयोग के समस्त वित्तीय एवं लेखा के मामलों से संबंधित कार्य।
06	अवर सचिव	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/सचिव द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य का निष्पादन।
07	प्रशाखा पदाधिकारी	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/सचिव द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य का निष्पादन।

३ण्विनिश्चय में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम :–

बिहार सूचना आयोग मुख्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदकों को नियमानुसार वांछित सूचनाएं दिलाने के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करता है। जिन आवेदकों को, लोक सूचना अधिकारी एवं तदोपरान्त प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ आवेदन करने पर वांछित सूचनाएं नहीं प्राप्त होती हैं, वे आयोग में अपनी द्वितीय अपील व शिकायत आयोग के केन्द्रीयकृत प्राप्ति केन्द्र पर हाथों–हाथ या डाक के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं। सभी प्रकार के आवदेन आयोग में प्राप्त होने पर उनकी विधिवत जाँच एवं परीक्षण आयोग के संविक्षा कोषांग द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अनुमोदित चेकलिस्ट के अनुसार की जाती है और सभी प्रकार से पूर्ण शिकायत/अपील को सुनवाई कक्ष/न्यायालय को नियमानुसार प्रेषित की जाती है। आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सभी राज्य सूचना आयुक्तों के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा विभागानुसार कार्य का आवंटन किया गया है।

अधिनियम की धारा–18 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी मामलें में जाँच करते समय आयोग को मुख्यतः वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है। जैसा कि अधिनियम की धारा 18(3) में स्पष्ट उल्लिखित है, जो निम्नवत् है :–

‘‘18(3) – यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामलें में जाँच करते समय वही

शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं अर्थात्

(क) संबंधित शक्तियों को समन करना, उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित गवाही देने और अभिलेखों या वस्तुओं का प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना,

(ख) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण एवं निरीक्षण की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज या उसकी प्रतियां मंगाना,

(ड.) साक्ष्यों या अभिलेखों के परीक्षण हेतु समन जारी किया जाना और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।''

उपरोक्त विधि से अपनायी गयी प्रक्रिया द्वारा जाँच की कार्यवाही पूर्ण होने पर आयोग विनिश्चय करता है। अंतरिम एवं अंतिम आदेशों की सत्यापित प्रतियाँ आवदेक एवं प्रतिवादी लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार को नियमानुसार प्रदान की जाती है।

आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के अन्तर्गत् आयोग, ₹250/– रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम ₹25,000/– रुपये की सीमा तक लोक सूचना अधिकारी पर दण्ड अधिरोपित कर सकता है। इसके साथ–साथ आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत उन पर लागू सेवा नियम के अन्तर्गत् अनुशासनिक कार्यवाही की अनुसंशा भी कर सकता है। धारा–19(8) (ख) के अन्तर्गत् आयोग लोक सूचना पदाधिकारी से

4. आयोग के अधीन अथवा आयोग के नियंत्रण में या आयोग के कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लागू नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका एवं अभिलेख :–

बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार सरकार द्वारा अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 एवं बिहार सूचना आयोग (प्रबंधन) नियमावली 2007 क्रियान्वित की गई है। बिहार सूचना आयोग, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।

5. आयोग के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की निर्देशिका :–

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, समस्त राज्य सूचना आयुक्तगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की निर्देशिका बिहार सूचना आयोग द्वारा बनायी गयी है, जिसकी विवरणी नीचे दी जा रही है :–

–: दूरभाष निर्देशिका :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष सं0/मोबाइल सं0
1.	श्री त्रिपुरारि शरण	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	0612–2215856
2.	श्री फूल चन्द्र चौधरी	राज्य सूचना आयुक्त	0612–2215871
3.	श्री ब्रजेश मेहरोत्रा	राज्य सूचना आयुक्त	0612–2215076
4.	श्री प्रकाश कुमार	राज्य सूचना आयुक्त	0612–2200412
5.	श्री संदीप अग्निहोत्री	विधि पदाधिकारी	0612–2235059
6.	श्री अरूण कुमार	अवर सचिव	मो0–9931027407
7.	श्री चन्दन कुमार सिंह	अवर सचिव	मो0–8757770001

6. **इलेक्ट्रोनिक सूचना के संबंध में ऐसे विवरण जो आयोग <u>को उपलब्ध हो अथवा आयोग के अधीन हो</u> :–**

आयोग के वेबसाईट https://sic.bih.nic.in है। आयोग एवं आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तगण के बारे में सूचनाएं वेबसाईट पर उपलब्ध है। आयोग के वेबसाईट पर आने वाले दैनिक एवं प्रत्येक सप्ताह की वाद–सूची तथा स्थगन के संबंध में सूचना भी देखी जा सकती है।

7. **प्रथम अपीलीय प्राधिकार तथा लोक सूचना पदाधिकारी <u>का नाम, पदनाम तथा अन्य विवरणी</u> :–**

<u>बिहार सूचना आयोग</u>

क्र0	नाम	पदनाम	अन्य अभियुक्ति
1.	श्री संदीप अग्निहोत्री	विधि पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	कमरा सं0–431, चतुर्थ तल, सूचना भवन, नेहरू मार्ग, पटना
2.	श्री धीरेन्द्र कुमार झा	प्रशाखा पदाधिकारी –सह– लोक सूचना पदाधिकारी	कमरा सं0–404, चतुर्थ तल, सूचना भवन, नेहरू मार्ग, पटना